भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2816

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना की प्रगति

2816 श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारतमाला परियोजना की गलियारा-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनकी लागत मूलतः स्वीकृत लागत की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है; और

(ग) उक्त लागत वृद्धि के क्या कारण हैं और उनकी पूर्णता की संशोधित समय -सारणी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) भारतमाला परियोजना के चरण-I को वर्ष 2017 में देश भर में 5,35,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, कुल 26,425 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाओं को सौंपा गया था। इसमें से, मई 2026 तक 22,709 किलोमीटर का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के चरण-I के तहत परियोजनाओं के नए अनुमोदन नवंबर 2023 से बंद कर दिए गए हैं।

भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं की समय सीमा परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से एक या दूसरे को छोड़ते हुए अपनी मूल पूर्णता समय-सीमा आगे निकल गई हैं। इसके अतिरिक्त, सभी विलंबित परियोजनाओं में लागतस वृद्धि नहीं होती है। यदि विलंब संविदाकार के कारण नहीं होता है, तो करार शर्तों के अनुसार परिभाषित सूत्र के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मूल्य वृद्धि का अंतिम मूल्य परियोजना संविदा/करार अवधि के वास्तविक पूरा होने पर निर्धारित किया जाता है। यदि विलंब संविदाकार के कारण होता है, तो नुकसान लगाया जाता है और विलंब के कारण अतिरिक्त लागत नहीं हो सकती है।

लागत में समग्र वृद्धि में, प्रमुख घटकों में से एक भूमि अधिग्रहण लागत है, जो भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे के निर्धारण के सिद्धांतों को लागू करने के परिणामस्वरूप उच्च मुआवजे के निर्धारण के कारण होता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं में विलंब के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे/अवरोध, वैधानिक मंजूरी में विलंब, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाना, कानून व्यवस्था, निर्माण सामग्री/खनिजों की अनुपलब्धता, संविदाकार/रियायतग्राही का खराब कार्य निष्पादन और कोविड-19 महामारी आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं। भारतमाला के अंतर्गत परियोजना को वर्ष 2028-29 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से परिवेश पोर्टल को नया रूप देना ताकि वन एवं पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों में तीव्रता लाई जा सके, रेलवे से सड़क उपरि पुलों (आरओबी) और सड़क अधोगामी पुलों (आरयूबी) के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति सक्षम करना और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है। सरकार परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
